पत्र संख्या-स्था-2-प्रशिक्षण कार्यक्रम/2025-26/COMP NO503310 285 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र०

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक :: 12/9/ 2025

// आदेश //

राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 4 विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ में **SIB WORKING MODULE** के सम्बन्ध में दिनांक 22-09-2025 से 26-09-2025 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें प्रतिभाग करने हेतु निम्न अधिकारियों को नामित किया जाता है:-

SN	EMPID	NAME	DES	OFF_NAME	MOBILE
1.	124517	Abha Tripathi	AC	AC (SIB),Bulandshahar	9621516449
2.	125494	Abhay Kumar Patel	AC	AC (SIB) Prayagraj (A)	8948322373
3.	124537	Akhilesh Kumar-Iv	AC	AC (SIB),Meerut (B)	9415436725
4.	126910	Ashutosh Singh	AC	AC (SIB) Ghaziabad (C)	9795145606
5.	124749	Binay Kumar Shukla	AC	AC (SIB) Meerut (A)	9454975590
6.	125926	Kamlesh Kumar-Ii	AC	AC (SIB) Agra (A)	9454378178
7.	124866	Manish Srivastava	AC	AC (SIB) Gorakhpur (A)	8765304766
8.	124342	Pawan	AC	AC (SIB) Saharanpur (A)	8802757075
9.	125147	Ram Chandra Verma	AC	AC (SIB) Sitapur	9452275161
10.	125631	Rananjay Yadav	AC	AC (SIB) Moradabad (B)	7235003357
11.	125706	Ravindra Nath Singh	AC	AC (SIB),Ghaziabad (A)	7579428746
12.	124617	Sanjay Kumar Singh-Ix	AC	AC (SIB) Kanpur (D)	8317042603
13.	125497	Shiv Kumar Singh	AC	AC (SIB) Aligarh (B)	9452599398
14	125862	Sunil Kumar-V Dr.	AC	AC (SIB) Kanpur (B)	9889848489
15.	125099	Veerendra Singh	AC	AC (SIB) Ayodhya (A)	8756372475
16.	124529	Vikas Mishra-I	AC	AC (SIB) Bareilly (A)	9953736699
17.	126196	Vipin Sonkar	AC	AC (SIB) Jhansi	8924857145
18.	126733	Virendra Pal Singh	AC	AC (SIB) Varanasi (C)	9453352805
19.	125722	Vishal Singh	AC	AC (SIB) Lucknow (A)	9839556691
20.	123081	Yogendra Prasad Singh	AC	AC (SIB) Muzaffarnagar	6395080371
21.	126883	Lalita Deepak Batra Smt.	STO	AC (SIB) Agra (A)	8960188496
22.	991005	Atul Kumar Arya	STO	AC (SIB) Agra (B)	9839486682
23.	991024	Amit Kumar (Ii)	STO	AC (SIB) Lucknow (C)	9559290999
24.	126194	Atul Kumar Yadav	STO	AC (SIB) Gorakhpur (B)	9015075197
25.	999972	Mahendra Pratap Singh	STO	AC (SIB) Aligarh (B)	9451924422
26.	991006	Pankaj Kumar Rawat	STO	AC (SIB) Kanpur (B)	9519442055
27.	991031	Pradeep Kumar Singh	STO	AC (SIB) Bareilly (A)	9807750171
28.	126989	Radhey Shyam Yadav	STO	AC (SIB) Gonda	6718845825
29.	991013	Raghavesh Singh	STO	AC (SIB) Lucknow (B)	8418851111
30.	991030	Raj Kishor	STO	AC (SIB) Ayodhya (A)	9651013892
31.	999937	Ramesh Chandra	STO	AC (SIB) Kanpur (C)	9838707454
32.	991049	Sandeep Kumar Singh	STO	AC (SIB) Bijnor	8299546369
33.	999939	Sangeeta Kumari	STO	AC (SIB) Ayodhya (B)	9453438257
34.	127593	Satyendra Kumar Srivastava	STO	AC (SIB) Mauanath Bhanjan (Azamgarh)	7607543385
35.	127145	Sumit Kumar	STO	AC (SIB) Banda	9013578232
36.	126555	Suresh Chandra Sharma	STO	AC (SIB) Aligarh (A)	7536056965
37.					

5000 श्रीमती पूर्णिमा
15/9/25

DC/(I.T)
15-9-25

38.	127930	Tara Chandra Upadhyay	STO	AC (SIB) Bareilly (B)	9451116244
39.	127053	Virendra Pal Upadhyay	STO	AC (SIB) Greater Noida	9997858924
40.	126203	Yusuf Ali	STO	AC (SIB) Mainpuri	9917960495

प्रशिक्षण में अधिकारी की उपस्थिति प्रशिक्षण संस्थान में आने के उपरान्त दिनांक 22-09-2025 से ही मान्य होगी। उक्त नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 4 विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ के कार्यालय में प्रत्येक दशा में उक्त दिनांक 22-09-2025 को प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। नामित अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अपने वर्तमान तैनाती / सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगें। **अधिकारियों के अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार है:-**

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं प्रातः 9 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरांत किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी अधिकारी को अनुमति नहीं होगी।
- अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें।
- संस्थान में अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक/शालीन पहनावे में रहना होगा।
- अधिकारियों के खान-पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेगी। मेस में भोजन का व्यय अधिकारियों को वहन करना होगा। हॉस्टल के कक्षों में खाना बनाना / मंगाना निषिद्ध है। मेस में अतिथियों को भोजन हेतु सामग्री लाना वर्जित होगा।
- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिन अधिकारियों के पास मोबाईल फोन पाया जायेगा उसे जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे अधिकारियों पर संस्थान द्वारा उचित जुर्माना भी आरोपित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण संस्थान में जिन अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध सामग्री पायी जायगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षण कार्यकम की अवधि में अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा।
- प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्यालय के आदेश सं० 4905 दि० 15.03.2018 के प्रस्तर 'ग' के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

Digitally signed by
DHANANJAY SHUKLA
Date: 12-09-2025
12:16:06

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, राज्य कर अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात अधिकारी को अपने स्तर से भी नामित करने का कष्ट करें।
5. ज्याइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. संबन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को सूचनार्थ।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि **EIMS MODULE** पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by JASMINE
Date: 12.09.2025 13:50:03

(जैस्मीन)
संयुक्त आयुक्त (स्थापना)
राज्य कर मुख्यालय,
लखनऊ।